

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) पीठासीन

अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या  
67/18

रजू दिनांक  
23.03.2018

निर्णय दिनांक  
29.06.2018

अनुवान

1. सूरजी पत्नी जगदीश सिंह
2. नत्थूसिंह
3. राजपाल सिंह
4. कमल सिंह पुत्रान जगदीश सिंह
5. कृष्णा देवी पत्नी बचन सिंह पुत्र जगदीश सिंह
6. रवि सिंह पुत्र बचन सिंह
7. ओकेश कुमार पुत्र बचन सिंह जातियान राजपूतान निवासीयान लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

-वादीगण

बनाम

1. मदन सिंह
2. जयकरण सिंह
3. राजेश सिंह
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्रान बलबीर सिंह
5. रामावतार सिंह
6. विष्णुसिंह
7. नरेश सिंह पुत्रान कानसिंह जातियान राजपूतान निवासीयान लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
8. चम्पा देवी पत्नी जीतराम जाति कुम्हार निवासी भागरोला तहसील गुडगांवा (हरि0)
9. राजबाला पत्नी राजेश कुमार
10. सुमित्रा देवी पत्नी मुकेश कुमार
11. बाला देवी पत्नी हंसराज जाति अहीर निवासी बावद तहसील मुण्डावर

उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

12. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर निवासी फौलादपुर
13. विजय कुमार पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी कान्हावास तहसील नीमराणा
14. शीशराम पुत्र मंगलराम निवासी पलावा तहसील मुण्डावर।
15. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तहसील मुण्डावर

—प्रतिवादीगण


दावा— इशतकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज,  
हु0ई0दवामी ।

वादीगण की ओर से श्री पूरण सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.06.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

“हाल ख0नं0 24 रकबा 0.28 है0, 301/0.64, 302/0.63, 307/0.51 एवं 308/0.48 कुल किता 5 रकबा 2.54 है0 वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित रकबे में से वादीगण के 1/3 हिस्से यानि 0.84 है0 की हद तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रानुसार प्रतिवादीगण द्वारा हाल ख0नम्बरान 24, 301, 302 के रकबे का बेचान कर दिये जाने की स्थिति में आराजी ख0नं0 307/0.51 है0 में से 0.42 है0 एवं ख0नं0 308/0.48 में से 0.42 है0 यानि कुल 0.84 है0 की हद तक प्रतिवादीगण के नाम हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं ख0न0 307, 308 में से उक्तानुसार 0.84 है0 का वादीगण को हिस्से अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष के बाबत का अंकन पूर्वतः यथावत रहेगा एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम के हो रहे अंकन के बाबत हु0ई0 दवामी से उन्हे पाबन्द किया जाता है कि वे हाल में हो रहे अंकन के आधार पर वादीगण के हिस्से आराजी को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल ना करे, ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे। पाबन्द रहे एवं बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से रकबे आराजी से बैक ऋण राशि वसूलनीय होगी।”

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 29.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
29.06.18  
(महेश चन्द्र मान) उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0  
पदेन सहायक मुण्डावर (अलवर)